

5/6/10

अधिवक्ता अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत किसल तलबी आवेदन पर चकावली आज पेशी में ली गई। अधिवक्ता अपीलान्त ने आवेदन फेरा कर अपीलान्त व रस्यो. के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो जाने हेतु निवेदन किया। अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं अतः प्रकरण में पत्रकारान के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा होने के आधार पर अपील/अपीलान्त खारिज की जाती है चकावली फिलहाल सुनार होकर बाद तकमिल दाखिल इफ्तार है।

वाली देवी



अ. नि. जली देवी

प्रधानवक्ता

*[Handwritten signature]*



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official